

336

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट
रीवा, जिला रीवा (म०प्र०)



R 5550-II/16

R 5550-II/16

- 1- संतोष कुमार गुप्ता पिता काशी प्रसाद गुप्ता, निवासी सा० बुसौल, तह० सेमरिया, जिला रीवा (म०प्र०)
- 2- विश्वनाथ गुप्ता पिता श्री रामलाल गुप्ता, निवासी सा० बुसौल, तह० सेमरिया, जिला रीवा (म०प्र०)

आवेदकगण

बनाम्

प्रमोद कुमार गर्ग पिता रामप्रसन्न गर्ग, निवासी सा० बुसौल, तह० सेमरिया, जिला रीवा (म०प्र०)

अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार तह० सेमरिया, जिला रीवा म०प्र०, प्र०क० 10अ-70/11-12 आदेश दिनांक 08.11.2016 में पारित ।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1969 ई०

मान्यवर

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर

प्रस्तुत हैं :-

- 1- अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08.11.2016 सर्वथा विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है।
- 2- अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 250 के उपबंधों के अधीन कोई दावा पेश नहीं किया गया था बल्कि धारा 32 म०प्र० भू-राजस्व संहिता के अधीन आवेदन पेश किया गया, और बाद में संशोधन

संतोष कुमार गुप्ता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

(11)

क्रमांक R5550-II /16

जिला-रीवा

संतोष कुमार गुप्ता/ प्रमोद कुमार गर्ग

(1)	(2)	(3)
05/01/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मृत्युन्जय प्रसाद द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक 10/अ-70/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 08.11.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	